फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रा. पत्र संख्या 05/2022 (जीसीएमएस/2022/68) **श्री गोरधन कांछी बनाम श्री राधेश्याम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.23	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील प्रत्यर्थी-1	

अनवान

1. श्री गोरधन पिता गिरधारी कांछी, केली, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

1. श्री राधेश्याम पिता बख्तावरलाल चमार, केली तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-65 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

<u>आदेश</u>

दिनांक 13.02.2023

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-65 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 62/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी बाद तामिल तारिख पेशी पर अनुपस्थित रहने से अपील संख्या 62/2021 अदम पैरवी, अदम हाजरी के खारिज की गई। जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-65 मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। दिनांक 03.02.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि अपील संख्या 62/2021 में तामिली की कार्यवाही के उपरान्त कोविड महामारी आने से अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता तारिख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी जानबुझकर अनुपस्थित नहीं रहे। अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी न्याय से वंचित रह जायेगा। उक्त निर्णय के दौरान कोविड महामारी होने से प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को निर्णय दिनांक 05.03.2021 की जानकारी न हो सकी, और जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थना पत्र धारा-65 मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश किया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाई जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2022, मिसलेनियस एप्लीकेशन न. 665/221 इन एसएमडब्ल्यू (सी) न. 03/2020, मिसलेनियम एप्लीकेशन न. 21/2022 में दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक सभी तरह के प्रकरण में मयाद को क्षम्य करने हेतु आदेश किया है। उक्त आदेश की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मूल अपील में पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं होने का प्रमुख कारण कोविड महामारी आ जाना बताया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के सर्कुलर दिनांक 08.01.2021 से सभी कोर्ट के नियमित संचालन के निर्देश दिये। तत्पश्चात् राज्य के सभी न्यायालय के साथ-साथ न्यायालय हाजा का भी कार्य सुचारू रूप से आरम्भ किया गया। तत्पश्चात् कोविड महामारी के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.04.2021 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के सर्कुलर दिनांक 19.04.2021 से अनुमत गतिविधियां किये जाने के निर्देश प्रदान किये। यह स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2021 से दिनांक 19.04.2021 के मध्य न्यायालय संचालन के संबंध में कोई रोक अथवा प्रतिबंध नहीं था। मूल अपील में अपीलार्थी पर सम्यक् तामिली की कार्यवाही हो चुकी थी, जिसकी अनुपालना अपीलार्थी/प्रार्थी का कर्तव्य था, परन्तु प्रार्थी न तो स्वयं या न ही जरिये अधिवक्ता प्राधिकृत के नियत पेशी दिनांक 05.03.2021 को न्यायालय समक्ष उपस्थित हुआ। ऐसें न्यायालय हाजा के पूर्वाधिकारी द्वारा प्रावधानोनुसार अपील को अहम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-65 भू-राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। आदेश सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया, I.A.S.)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर